



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 6179/अका./सम्बद्धता/2015

रायपुर, दिनांक : 04/11/2015

॥ आदेश ॥

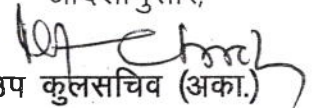
विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.09.2015 की अनुशंसा एवं विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 23.09.2015 व कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.10.2015 के अनुमोदनानुसार दिशा लॉ कालेज, सत्य विहार, विधानसभा, चंद्रखुरी मार्ग, पचेड़ा, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	B.A. L.L.B. (II Year) (120 seats)	120	2015-16
2.	L.L.B. (II Year) (60 seats)	60	

शर्त :-

- विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.09.2015 एवं 23.09.2015 के निर्णय एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.10.2015 में हुए अनुमोदनानुसार महाविद्यालय को शासन के पत्र क्रमांक 394/आउशि/अशै.प्र./2015 दिनांक 14.07.2015 के द्वारा B.A.L.L.B. एवं L.L.B. के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। शासन के उक्त आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
 - छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
 - प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
 - शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
 - समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
 - छात्रों की संख्या BCI के अनुसार निर्धारित किए जाने के साथ निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है।
 - परिनियम 28 के तहत न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह के भीतर पूर्ण करें।
 - जॉय प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति महाविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व तक करेंगे।
- उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार,

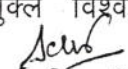

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक : 6180/अका./सम्बद्धता/2015

रायपुर, दिनांक : 04/11/2015

प्रतिलिपि :-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
- संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
- संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
- स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
- अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।


कक्ष अधिकारी (अका.)

5/10

~~San Jose~~
9/10/13

संदर्भ - जिन रिचालय का पत्र क्र. 4385/अ.रा./2015 रायपुर
दिनांक 10/08/2015.

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुसार गठित निरीक्षण समिति द्वारा दिनांक 18/11/2015 को दिवा लाई डालेज का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति में प्रो० अश्वनी मेरवा तथा डा० विनीता अशुवाल के सहचर के निरीक्षण समिति के पाया कि -

- ① महाविद्यालय नेपाल प्रभारित सेवा में वसूल तथा-
अपने संरचना है।
- ② महाविद्यालय नेपाल प्रभारित सेवा में वसूल है-
परन्तु उसे और विस्तार दिए जाने की आवश्यकता है।
- ③ परिचय 28 के अनुसार प्राप्ति तथा शिक्षकों
को नियुक्त किए जाने की आवश्यकता है।
- ④ महाविद्यालय द्वारा कहा गया है कि नियुक्ति की प्रक्रिया
चालू है उसे शीघ्रान्वेषित पूरा किया जाना
आवश्यक है।
- ⑤ BCI के पत्र डू BCI D: 794/2014 (LE) दिनांक
5.7.2014 द्वारा जिन शर्तों पर भावना प्रदान
की गई है उन्हें पूरा करने के सम्बन्ध में ध्यान
दा वधन है कि उन्हें पूरा कर लिया गया है। (66A)

संलग्न - नीलेज हात सामग्री
प्रदान करने हेतु प्रेषित
प्रार्थना ।

८६१५२२

हस्त, - १७ (१७-१७) (१७-१७)

- ① प्रो. ए. ए. खान - 
- ② डॉ. विनीता अग्रवाल - 